

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—BRRDA(HQ)-MMGSY-63/25 305

/पटना, दिनांक — 21/02/25-

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
 विशेष सचिव,
 ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
 बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष—००—लघु शीर्ष—१०३—ग्राम विकास—उप शीर्ष—०१२३ (सामान्य), मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ—११ में अंकित राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष—सामान्य) अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनियों के अधीन वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए ०१ (एक) अद्द योजना के निर्माण (नये सतहीकरण सहित) एवं छःवर्षीय संचालन एवं प्रबंधन कार्य के लिए निम्न तालिका के स्तम्भ—११ में अंकित राशि की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है :—

Sl No.	District	Division	Block	Habitation Survey ID	Road Name	Length (in Km)	Cost of Construction and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Administrative Cost (in lakhs)	Administrative Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kaimur (Babhua)	Mohania	Mohania	81417	Lahurbari Chaurasiya Pmgsy Road to Nauraura Kushwaha Tola	2.300	211.690	22.287	5.260	239.237

2. विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक:— 21/02/25 को निम्न शर्तों के साथ इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है :—

- I. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
- II. कार्यपालक अभियंता (PIU) का दायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
- III. इन योजनाओं के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का भुगतान योजना शीर्ष—4515 एवं छःवर्षीय संचालन एवं प्रबंधन कार्य की राशि गैर योजना मद शीर्ष—3054 से भारित किया जायेगा।
- IV. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- V. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जायेगा।


- VI. कार्यों को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
- VII. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 05 (पाँच) तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- VIII. इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2024–2025 एवं 2025–26 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- IX. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- X. स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि MIS पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
- XI. संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है एवं पूर्व में इन पथों की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गयी है।
- XII. **स्वीकृत योजनाओं की निविदा/पुनर्निविदा ई-निविदा के माध्यम से मुख्यालय द्वारा करायी जायेगी।**
- XIII. स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के लिए निर्गत संकल्प एवं मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।
- XIV. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर सक्षम पदाधिकारी से Road Safety and Social & Environmental से संबंधित बिन्दुओं का नियमानुसार प्रावधान रखते हुए प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कराने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियंता की होगी।
- XV. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त योजना के निर्माण एवं नये सतहीकरण कार्य (Road Edge Marking सहित) का वहन योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष—00—लघु शीर्ष—103—ग्राम विकास—उप शीर्ष—0123 (सामान्य), मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25, जिसका विपत्र कोड संख्या—37—4515—00—103—0123 है एवं छःवर्षीय संचालन एवं प्रबंधन कार्य की राशि का वहन गैर योजना मद शीर्ष—3054—सङ्क तथा सेतु—उप मुख्य शीर्ष—04—जिला तथा अन्य सङ्क—लघु शीर्ष—105—रख रखाव तथा मरम्मत—उप शीर्ष—0001—ग्राम सङ्क अन्य रख रखाव व्यय, जिसका विपत्र कोड संख्या—37—3054041050001 है, के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

- (क) मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष—सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
- (ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या—12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों को आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
- (ग) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
3. इस योजना की स्वीकृति, सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21/02/25 को संचिका संख्या:—BRRDA(HQ) MMGSY-63/25 के पृष्ठ—09...../टि० पर प्राप्त है।

4. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या:- BRRDA(HQ)MMGSY-63/25 के पृष्ठ- ५९...../टि० पर दिनांक:- २१/०२/२५ को विभागीय अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- BRRDA(HQ) MMGSY-63/25 के पृष्ठ संख्या:- १०...../टि० पर दिनांक:- २१/०२/२५ को प्राप्त है।


विश्वासभाजन


सरकार के विशेष सचिव

/पटना, दिनांक- २१/०२/२५-

ज्ञापांक: BRRDA(HQ) MMGSY-63/25 ३०५

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव